रजिस्ट्री सं० डी- 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1965 (ज्येष्ठ 29, 1887)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1965 (JYAISTHA 29, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 5 जून 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 5th June 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
57	No. 35-ITC/(PN)/65, dated 31st May, 1965.	Ministry of Commerce.	Import of Machinery, Components thereof, equipment, other commodities and raw materials from U.S.A. under AID Loan No. 103.
58	No. 37/1/X11/65/T, dated 1st June 1965.	Lok Sabha Secretariat.	The President summons the Lok Sabha to meet on 16 Aug. 1965.
59	No. 2/ETC/(PN)/65, dated 1st June 1965.	Ministry of Commerce.	Export of Molasses—Minimum f.o.b. Price.
60	No. R.S. 1/3/65-L, dated 2nd June 1965.	Rajya Sabha Secretariat.	The President summons the Rajya Sabha to meet on 16th Aug. 1965.
61	No. 3-ETC (PN)/65, dated 3rd June 1965.	Ministry of Commerce.	Export of Hand Woven Woollen carpets.
	No. 36 ITC (PN)/65, dated 3rd June 1965.	Do.	Import of In-edilk tallow from U.S.A. under the Agricultural Commodities Agreement.
62	No. 37-ITC (PN)/65, dated 5th June 1965.	Do.	Import of Cinematograph films, exposed—Grant of Supplementary licences to Established, Importers for the period April 1964—March 1965.
63	No. 38-ITC (PN)/65 dated 5th June 1965.	Do.	Import of machinery, components thereof, equipment, other commodities and raw materials from the U.S.A. under AID Loan 103.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	331
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	475
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	309
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	895
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	2069
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	161
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	427
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	215
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	45
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2453
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	131
पूरक सं० 25—	
12 जून 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	849
22 मई 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	859

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	331
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	475
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	309
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	895
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2069
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	161
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	427
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	215
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	45
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2453
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	131
SUPPLEMENT No. 25—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 12th June 1965	849
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 22nd May, 1965	859

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 1965

सं० 34-प्रेज/65—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री शांति सिंह,
हैड कान्स्टेबल नं० 194,
14वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश।

श्री भगत सिंह,
कान्स्टेबल नं० 132,
14वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश।

श्री चन्द्र सिंह,
कान्स्टेबल नं० 278,
14वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 जुलाई, 1964 को मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र दल की "बी" कम्पनी के कम्पनी कमांडर सज्जन सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल को तथा उनके सहायक प्लाटून कमांडर गमाल सिंह को जोनोबोट ब्रिगेड मुख्यालय द्वारा विद्रोहियों के कुछ क्षेत्रों की खोज करने के लिये नियुक्त किया गया।

12 जुलाई, 1964 के 2 बजे रात्रि में यह पुलिस दल वर्षा में ग्राम के समीप कुछ झोंपड़ियों की खोज करने के लिये गश्त पर निकला। उस स्थान पर जहां से उस दल को आगे फैल कर बढ़ना था, पहुंच कर, वह दो भागों में विभक्त हो गया। भाग 1 तथा 2 का नेतृत्व कम्पनी कमांडर सज्जन सिंह ने और भाग 3 तथा 4 का प्लाटून कमांडर गमाल सिंह ने सम्भाला। गश्ती दल को खड़ी चढ़ाई पर घने जंगलों और दलदली भूमि से गुजर कर जाना पड़ा। प्रथम भाग के अग्रगामी गुप्तचर हैड कान्स्टेबल शान्ति सिंह, कान्स्टेबल भगत सिंह तथा कान्स्टेबल चन्द्र सिंह तीन झोंपड़ियों की ओर रेंग कर गये। पहले झोंपड़ी को खाली पाकर हैड कान्स्टेबल शान्ति सिंह झोंपड़ी में निकले ढलान की ओर से घुसा तथा कान्स्टेबल चन्द्र सिंह और कान्स्टेबल भगत सिंह ऊपर की ढलान की ओर से घुसे। ज्यों ही हैड कान्स्टेबल शान्ति सिंह झोंपड़ी में घुसा, एक विद्रोही ने अपनी राइफल से उस पर निकट से गोली चलायी। बिल्कुल निकट होने के कारण गुप्तचर इस भय से गोली नहीं चला सकते थे कि कहीं अन्धकार में एक-दूसरे को चोट न पहुंचा दें परन्तु हैड कान्स्टेबल शांति सिंह ने उनको निकट युद्ध के लिये विद्रोहियों पर गोली चलाने के लिये आदेश दिया। हैड कान्स्टेबल शांति सिंह, कान्स्टेबल चन्द्र सिंह की सहायता से एक विद्रोही की राइफल छीनने में सफल हुये। एक ओर विद्रोही ने टंगी (छोटी कुल्हाड़ी) से कान्स्टेबल चन्द्र सिंह के सिर में चोट मारी। यह देख कर कान्स्टेबल भगत सिंह ने कूल्हे पर रख कर अपनी राइफल चला दी और उस विद्रोही को जान से मार दिया। यद्यपि अन्य विद्रोही झोंपड़ी से अन्धकार में भागने में सफल हो गये तथापि पुलिस दल ने विद्रोहियों द्वारा अपहृत तीन व्यक्तियों को मुक्त करा दिया।

इस छोटी परन्तु भयानक मुठभेड़ में हैड कान्स्टेबल शांति सिंह, कान्स्टेबल भगत सिंह तथा चन्द्र सिंह ने अपने प्राणों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए उत्कृष्ट वीरता एवं उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 12 जुलाई, 1964 से दिया जायेगा।

सं० 35-प्रेज/65—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री मंशा सिंह,
हवलदार नं० 6813,
6 बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस,
अजमेर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 और 2 अक्तूबर, 1964 की रात्रि को हवलदार मंशा सिंह 6 अन्य कान्स्टेबलों सहित पहाड़ी पर स्थित एक अकेली चौकी पर एक जलाशय पर पहरा दे रहे थे। रात्रि अन्धकारपूर्ण थी तथा पहरे पर स्थित सिपाही ने सन्देहपूर्ण हलचल होने की आवाज सुन कर हवलदार मंशा सिंह को चुपचाप सावधान कर दिया और उसने तुरन्त अपने साथियों को मोर्चाबन्दी का आदेश दिया। हवलदार मंशा सिंह तब होने वाली ध्वनि की ओर अग्रसर हुये तथा एक व्यक्ति की आकृति को देखकर आगन्तुक को ललकारा। पहले तो आगन्तुक ने केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के जमादार होने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाने का प्रयत्न किया। उसी समय आक्रमणकारियों ने गोली चला दी। हवलदार मंशा सिंह ने तत्परता से उत्तर में गोली चलाई तथा आगन्तुक को मार दिया। तत्पश्चात् उन्होंने अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश दिया और स्वयं आगे गये तथा आगन्तुक के शव को घसीट लाये ताकि लुटेरे उसे न ले जायें। प्रातःकाल से पूर्व तक गोली चलती रही। केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की चौकी अडिग रही तथा आगन्तुकों को विवश होकर पीछे हटना पड़ा और वे अपने पीछे एक मृतक, एक स्टेन गन, तथा 5 मैगजीनों को छोड़ गये।

इस मुठभेड़ में हवलदार मंशा सिंह ने विशिष्ट साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को महान् संकट में डालते हुये आगन्तुकों को पीछे धकेला।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्निशमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 अक्तूबर 1964 से दिया जायेगा।

सं० 36-प्रेज/65—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री खंगर सिंह,
सहायक कमांडेंट,
पहली बटालियन, राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल,
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25 जनवरी, 1964 को भारत-पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर एक विवादग्रस्त क्षेत्र में सीमा-स्थिति गम्भीर हो गई, जबकि पाकिस्तानी सैनिक दल ने राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के व्यक्तियों पर गोली चला दी। श्री खंगर सिंह ने, जो उस क्षेत्र में राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के कमांडर थे, विशिष्ट कौशल और संगठित प्रयत्न के साथ पाकिस्तानी सेना के बहुत ही समीप विस्तृत खाइयों तथा खुदाई कार्यों से अपनी सुरक्षा चौकियों को सुदृढ़ स्थिति में परिवर्तित कर दिया। 5 मार्च से 11 मार्च, 1964 के मध्य पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारे मोर्चों पर बारूद से भरे गोलों, राइफलों, हल्की मशीन गनों, मध्यम मशीन गनों 2", 3" तथा 120 मिली मीटर मार्टरों और कभी-कभी 25 पौंड वाली बन्दूकों से गोलाबारी प्रारम्भ की। श्री खंगर सिंह ने अपने आदमियों में विश्वास जागृत किया जिन्होंने वीरतापूर्वक संकट का सामना किया तथा उत्तर में गोलियां चलायीं। 5 मार्च, 1964 को पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाने के अतिरिक्त उस क्षेत्र में उगे सरकंडों को आग लगाने के लिये भस्मक गोले और चमकदार गोलियों का भी प्रयोग किया, जिससे गोली-बारूद भरी हमारी खाई को संकट उत्पन्न हो गया। इस गम्भीर स्थिति में, श्री खंगर सिंह ने बड़े साहस के साथ अपने सिपाहियों को संगठित किया तथा भारी गोली-वर्षा में भी आग बुझाने में लगाये रखा और इस प्रकार अपने सिपाहियों को सर्वनाश से बचा लिया।

इस समस्त अवधि में श्री खंगर सिंह उन अग्रिम मोर्चों में निर्भीक घूमते रहे, जिन पर पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी गोली-वर्षा की जा रही थी तथा अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों को प्रेरित करते रहे और इस प्रकार उन्होंने उस क्षेत्र में अपनी चौकियों की रक्षा की।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

सं० 37-प्रेज/65—राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री लाल चन्द,
हैड कान्स्टेबल नं० 21,
पहली बटालियन,
राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल,
राजस्थान।

श्री प्रेम सिंह,
कान्स्टेबल नं० 467,
पहली बटालियन,
राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल
राजस्थान।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किये गये

राजस्थान सशस्त्र पुलिस दल के हैड कान्स्टेबल श्री लाल चन्द जम्मू व काश्मीर में पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर चमलियाल की सीमा चौकी में एक टुकड़ी की कमांड पर थे। यह चौकी विवादग्रस्त क्षेत्र से बहुत समीप है, जिसके सम्बन्ध में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई, तथा जिसके परिणास्वरूप 25 जनवरी, 1964 को भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच गोली चलने लगी। तब तक यह चौकी निरन्तर संकट में थी तथा पाकिस्तानी सेना इस पर अकारण ही गोली चला रही थी। 3 फरवरी 1964 को इस चौकी पर पाकिस्तानी सेनाओं ने भारी गोली बरसाई। हैड कान्स्टेबल लाल चन्द अपने साहस और बुद्धिकौशल से आक्रमण के सम्मुख अडिग रहे तथा उन्होंने अपनी चौकी को एक सुदृढ़ मोर्चे के रूप में परिवर्तित कर दिया। 5/6 मार्च की रात्रि के लगभग 10 बजे आक्रमणकारी पाकिस्तानी दलों ने इस चौकी पर राइफलों, हल्की मशीन-गनों, मध्यम मशीन-गनों, बारूद से भरे गोलों तथा मार्टरों से गोली चलाई। काफी देर रात्रि तक गोली चलती रही, और तब पाकिस्तानी दलों ने उस चौकी के चारों ओर लगे सरकंडों को आग लगाने के लिये चमकदार गोलियां और भस्मक-गोले फेंके। इसके परिणामस्वरूप इस चौकी के साथ सारे संचार कट गये। इस चौकी के पृथक हो जाने की स्थिति का लाभ उठाते हुए, शत्रुदल इसके समीप आया और इस पर अधिकार करने का प्रयत्न करने लगा। इस अवसर पर, हैड कान्स्टेबल लाल चन्द, कान्स्टेबल प्रेम सिंह तथा चार अन्य सिपाहियों के साथ इस चौकी पर अडिग रहे तथा समीप आते हुए शत्रुदल पर बारूद से भरे गोलों और राइफलों से सही निशाना लगाते रहे। हैड कान्स्टेबल लाल चन्द तथा कान्स्टेबल प्रेम सिंह ने शत्रुदल को उस समय तक दूर ही रखा जब तक कि सहायक दल आ पहुंचा।

इस समस्त आक्रमण के मध्य में हैड कान्स्टेबल लाल चन्द और कान्स्टेबल प्रेम सिंह ने विशिष्ट वीरता, साहस, प्रत्युत्पन्नमति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया तथा अपने जीवन के लिये बहुत समीप के संकट का सामना करते हुये उन्होंने अपनी चौकी की रक्षा की।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 मार्च 1964 से दिया जायेगा।

सं० 38-प्रेज/65—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री भगवत नारायण शर्मा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 मार्च, 1963 को श्री भगवत नारायण शर्मा को कुख्यात सशस्त्र डाकू माता प्रसाद के ग्राम ठाकुरपुर्वा में उपस्थित होने की विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई। श्री शर्मा तुरन्त पुलिस के एक दल के साथ उस स्थान की ओर दौड़ पड़े। खोज से बचने के लिये अपनी गाड़ियों को गांव से लगभग 3 मील दूर छोड़कर, पुलिस दल ग्राम की ओर पैदल चला। मार्ग में श्री शर्मा ने कुछ हथियारों के लाइसेंसदारों को भी एकत्रित कर लिया तथा ग्राम के चारों ओर घेरा डाल दिया। लगभग 5 बजे सायं श्री शर्मा अपने कुछ आदमियों सहित एक गृह में प्रविष्ट हुये जहां कि डाकू शरण ग्रहण किये था। पुलिस की उपस्थिति को अनुभव कर, डाकू ने मकान की छत पर अपनी स्थिति सम्भाल ली। यद्यपि श्री शर्मा के अधीन पर्याप्त सिपाही थे तथापि उन्होंने अकेले ही उस डाकू से मुकाबला करने का निश्चय किया। संकट की परवाह न करते हुये श्री शर्मा अकेले ही छत पर कूदे और डाकू को चुनौती दी। डाकू ने श्री शर्मा पर गोली चलाई और बच कर भाग निकलने की खतरनाक कोशिश में वह छत से नीचे कूद पड़ा। श्री शर्मा भी बिना हिचकिचाहट के नीचे कूद पड़े और उस डाकू का तीव्रता से पीछा किया और अन्त में वह उसे अपनी बन्दूक का प्रयोग करने का अवसर दिये बिना, उस पर काबू पाने में सफल हुए।

एक भयंकर सशस्त्र अपराधी को अकेले गिरफ्तार करने में, श्री भगवत नारायण शर्मा ने अनुकरणीय साहस, पहलशक्ति एवं उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

सं० 39–प्रेज़/65––राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :–

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री बचन सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
झांसी, उत्तर प्रदेश।

श्री विजय सिंह,
पुलिस मंडल निरीक्षक,
झांसी, उत्तर प्रदेश।

श्री परस राम यादव,
पुलिस उप-निरीक्षक,
झांसी, उत्तर प्रदेश।

श्री गोवर्धन सिंह,
हैड कान्स्टेबल नं० 27,
सशस्त्र पुलिस, झांसी,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किए गए

ग्राम नीम तोरिया, जिला झांसी, के कुख्यात डाकू दौलता तथा उसके गिरोह ने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में अनेक जघन्य अपराध किये थे तथा समस्त क्षेत्र में पर्याप्त आतंक उत्पन्न कर रखा था। उनकी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से इस भयानक गिरोह का पता लगाकर इसे समाप्त करने के लिये अनेक पुलिस दल नियुक्त किये गये।

31 मई, 1964 को एक पुलिस का संगठन किया गया जिसमें श्री बचन सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री महेन्द्रपाल दीक्षित, पुलिस उप-अधीक्षक, मंडल निरीक्षक विजय सिंह, उप-निरीक्षक परस-राम यादव तथा हैड कान्स्टेबल गोवर्धन सिंह सम्मिलित थे। यह दल ग्राम पिपरात पहुंचा और उन्हें ज्ञात हुआ कि दौलता तथा उसका गिरोह उस ग्राम के एक मकान में है। पुनः बल संगठन करने के लिये समय नहीं था अतः पुलिस दल ने अपनी जीप गाड़ी को ग्राम के बाहर छोड़ दिया तथा मार्ग में श्री भक्त राज जो स्थानीय लाइ-सेंसदार था, को साथ लेकर उस मकान की ओर दौड़े। श्री भक्त राज को उस मकान के पश्चिम की एक गली में नियुक्त कर दिया गया ताकि उस ओर से डाकू निकल भागने का प्रयत्न न करें। श्री बचन सिंह ने उस गिरोह पर एकदम तथा अचानक आक्रमण करने का निश्चय किया। अन्य व्यक्ति श्री बहोरे, जो घर से बाहर खड़ा हुआ था, पुलिस दल में सम्मिलित हो गया और तब वे शीघ्रता से पूर्व की ओर खुलने वाले दो द्वारों से कमरों में प्रविष्ट हुये। श्री बचन सिंह ने यह निर्णय कर लिया था कि डाकू अवश्य ही साथ के दो कमरों में से किसी एक में होने चाहियें। अतः वह दोनों कमरों में से छोटे के बाहर खड़े हो गये और आत्मसमर्पण करने के लिए दौलता को पुकारा। इस चुनौती के उत्तर में डाकुओं ने गोलियां दी और इसके विपरीत उन्होंने बड़े कमरे से पुलिस दल को चुनौती दी। डाकुओं के लिये निकल भागने के केवल दो ही सम्भव मार्ग थे जो मकान के उत्तर-पूर्व के प्रांगण से थे और पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे। इन मार्गों को बन्द करने के लिये, उप-निरीक्षक विजय सिंह तथा उप-निरीक्षक परस राम यादव महान् व्यक्तिगत संकट को उठाते हुये कमरे के द्वार तक रेंग कर गये जहां कि डाकू अपनी स्थिति सम्भाले बैठे थे। डाकुओं ने उन पर गोली चलायी परन्तु सौभाग्य से उनको कोई चोट नहीं आयी और वे अपने स्थान पर पहुंच गये। श्री बचन सिंह चिल्लाये तथा दौलता को चेतावनी दी कि यदि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उस पर हथगोले फेंके जायेंगे। श्री बहोरे ने श्री बचन सिंह को सूचित किया कि सम्भव है डाकुओं के साथ कुछ ग्रामीण भी हों। श्री बचन सिंह ने ग्रामीणों को आदेश दिया कि या तो वे कमरे से बाहर आ जायें अथवा उसके परिणाम भुगतने के लिये तैयार रहें। इसके शीघ्र बाद एक ग्रामीण कमरे से बाहर आया और उसके बाद एक और ग्रामीण आया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस के लिये की गयी इस गड़बड़ी का लाभ उठाते हुये दौलता तथा उसके साथी उमराव और बाबू अहीर ने और लाभदायक स्थितियों को सम्भाल लिया तथा पुलिस पर गोली चलायी। बन्दूकों से होने वाली इस मुठभेड़ के मध्य डाकुओं ने पुलिस के घेरे को तोड़ने का दुस्साहसपूर्ण प्रयत्न किया और मकान से बाहर झपटे। बाबू अहीर ने श्री बचन सिंह पर गोली चलायी परन्तु हैड कान्स्टेबल गोवर्धन सिंह तथा श्री बचन सिंह, जिन्होंने साथ-साथ ही गोली चलायी थी, द्वारा स्वयं मारा गया। दौलता के भाई उमराव ने उप निरीक्षक परस राम यादव पर गोली चलायी तथा दौलता ने निरीक्षक विजय सिंह पर गोली चलायी जिन्होंने उत्तर में उस पर गोली चलायी और उमराव पर भी गोली चलायी। निरीक्षक विजय सिंह, श्री बचन सिंह तथा उप-निरीक्षक परस राम यादव द्वारा साथ-साथ चलायी गयी गोलियों द्वारा दौलता मारा गया। श्री परस राम यादव ने तब उमराव को मार दिया। डाकुओं के पास से ·303 की एक राइफल, 2 इकनाली भरमार बन्दूकों तथा भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री बचन सिंह, श्री विजय सिंह, श्री परस राम यादव तथा श्री गोवर्धन सिंह ने अपनी सुरक्षा की पूर्णतः उपेक्षा करते हुये असाधारण साहस, पहलशक्ति तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं और फलस्वरूप श्री विजय सिंह, श्री परस राम यादव तथा श्री गोवर्धन सिंह को नियम 5 के अन्तर्गत दिनांक 31 मई, 1964 से विशेष भत्ता दिया जायेगा।

वाई० डी० गंडेविया, राष्ट्रपति के सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 1965

सं० आर० एस० 29/1/65-टी०—पश्चिमी बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक निर्वाचित सदस्य, डाक्टर नीहार रंजन राय ने 1 जून 1965 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है।

बी० एन० बनर्जी, सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 1965

सं० 12/25/63–ई–प्रापर०—भारत सुरक्षा नियम 1962 के नियम 133 बी के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि मि० शीह चीह ते, शू शाप, कालिम्पोंग की भारत में समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति जो कि उनकी है उनके पास है या जिसका प्रबन्ध उनकी ओर से किया जाता है और जो कि भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 12/25/63–ई० प्रापर० दिनांक 17–7–1963 के अनुसार भारत शत्रु सम्पत्ति परिरक्षक के अधिकार में आ गई थी, अब उनके अधिकार में नहीं रहेगी और मि० शीह चीह ते के अधिकार में पुनः चली जायेगी।

डी० एन० बनर्जी, संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय

(विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 मई 1965

सं० एफ० 3(18)/62-एस० आर०-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 3(18)/62-एस० आर०-1 दिनांक 1-4-1965/चैत्र 11, 1887 के सिलसिले में सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि डा० बी० पी० पाल महा

निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन नई दिल्ली तथा डा० टी० आर० गोविन्दाचारी, निदेशक सीवा अनुसंधान केन्द्र गोरे गांव बम्बई-62, इसी समय से 31-3-1968 तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बोर्ड की 5-5-1965 की अन्तिम बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के शासी सभी के बोर्ड के प्रतिनिधि निर्वाचित किये गये हैं।

ए० के० मुस्तफी, संयुक्त सचिव
भारत सरकार पदेन शिक्षा मंत्रालय विज्ञान विभाग

सिंचाई व बिजली मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 1965

सं० 7/7/61—गं० बे०/फ०व०प०—फरक्का बराज नियन्त्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना के बारे में सिंचाई व बिजली मंत्रालय के संकल्प सं० एफ० 7/7/61—गं० बे० दिनांक 29-6-61, जिसको संकल्प सं० 7/7/61-गं० बे० दिनांक 22-7-61 सं० 7/7/61 गं० बे०/फ०व०प०, दिनांक 31-5-62, सं० 7/7/61—गं० बे० दिनांक 15-11-62 तथा सं० 7/7/61—गं० बे०/फ० व० प० दिनांक 7-11-63 द्वारा संशोधित किया गया है, में क्रम सं० 2(6) पर दी हुई निम्नलिखित मदों को मिटा दिया जाए :—

"(6) डा० एन० के० बोस, अवैतनिक सलाहकार, सिंचाई और जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार—सदस्य।"

2. दूसरे पैरे में वर्तमान क्रम संख्याओं "(7) व (8)" को बदल कर "(6) व (7)" कर दिया जाए।

पी० आर० आहुजा, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th June 1965

No. 34-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Shanti Singh,
Head Constable No. 194,
14th Battalion, Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Bhagat Singh,
Constable No. 132,
14th Battalion, Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Chander Singh,
Constable No. 278,
14th Battalion, Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A police force under the command of Shri Sajjan Singh, Company Commander, "B" Company, 14th Battalion, Madhya Pradesh Special Armed Force, assisted by Platoon Commander Gamal Singh was detailed by Brigade Headquarters Zonoboto to search certain areas for hostiles.

At 0200 hours on the 12th July, 1964, this police force went out on a night patrol in pouring rain to search some huts near a village. On reaching the deployment point, the force split up into two parties, sections 1 and 2 under Company Commander Sajjan Singh and sections 3 and 4 under Platoon Commander Gamal Singh. The patrols had to traverse steep terrain for about 5 miles, covered with thick jungles and over marshy ground throughout. The leading scouts of section 1, Head Constable Shanti Singh, Constable Bhagat Singh and Constable Chander Singh crept towards three huts. Finding the first hut vacant Head Constable Shanti Singh entered the second hut from its lower opening while Constables Bhagat Singh and Chander Singh entered it from the opposite side. The moment Head Constable Shanti Singh entered the hut a hostile fired at him at point blank range with his rifle. Due to their close proximity, the Scouts did not risk returning the fire for fear of hitting each other in the darkness, but Head Constable Shanti Singh gave the order to charge the hostiles in a close quarter attack. Head Constabe Shanti Singh managed to snatch away the rifle of the hostile with the help of Constable Chander Singh. Another armed hostile attacked Constable Chander Singh with a small axe inflicting an injury on his head. Constable Bhagat Singh promptly fired his rifle from the hip and shot the hostile dead. Though the other hostiles in the hut managed to escape in the darkness, the police party were able to rescue three persons whom the hostiles had kidnapped.

In this brief but dangerous encounter Head Constable Shanti Singh, Constable Bhagat Singh and Constable Chander Singh exhibited conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order in complete disregard for their own safety.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th July, 1964.

No. 35-Pres./65.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police :—

Name of the officer and rank

Shri Mansha Singh,
Havildar No. 6813,
6th Battalion, Central Reserve Police,
Ajmer.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 1st/2nd October, 1964, Havildar Mansha Singh, along with 6 constables, was in charge of the guard of a water point at a lonely post on the side of a hill. It was a dark night, and, on hearing suspicious movements, the sentry of the guard quietly warned Havildar Mansha Singh who immediately ordered his men to "stand to". Havildar Mansha Singh then advanced in the direction of the sound and seeing the figure of a man challenged the intruder. The intruder at first tried to pass off as a Central Reserve Police Jemader. The raiders at the same time opened fire. Havildar Mansha Singh promptly returned the fire and shot the intruder dead. He then immediately ordered his men to open fire and himself went forward and dragged the intruder's body back to prevent the raiders from removing it. The firing continued till the early hours of the morning. The Central Reserve Police post stood firm and forced the raiders to withdraw leaving behind one dead, a sten gun and five magazines.

In this encounter, Havildar Mansha Singh displayed conspicuous courage and devotion to duty of a high order and repelled the raiders at great risk to his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd October, 1964.

No. 36-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Rajasthan Police :—

Name of the officer and rank

Shri Khangar Singh,
Assistant Commandant,
1st Battalion, Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The border situation in a disputed area on the Indo-Pakistan International border took a serious turn on 25th January, 1964, when Pakistani forces opened fire on RAC personnel. Shri Khangar Singh, who was the Commander of the RAC in the area, with great skill and drive, converted our defensive positions into a stronghold by preparing extensive dug-outs and field works in very close proximity to the Pakistani positions. During the period 5th March to 11th March, 1964, the Pakistani forces started firing on our positions with grenades, rifles, LMGs, MMGs, 2 in., 3 in. and 120 MM Mortars and at times with 25 pounder guns. Shri Khangar Singh inspired confidence in his men who faced the danger bravely and returned the fire. On 5th March, 1964, the Pakistani forces also used incendiary shells and tracer bullets to ignite the *sarkanda* growth in the area, thereby endangering our dug-outs containing ammunition. During this critical situation, Shri Khangar Singh with great courage, organised his

men and extinguished the fire in the face of heavy firing and so saved their complete annihilation.

Throughout this period Shri Khangar Singh moved freely in the forward trenches which were under heavy fire and inspired the police personnel under his command to fight back courageously and thus saved our strong positions in that area.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 37-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Rajasthan Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Lal Chand,
Head Constable No. 21,
1st Battalion,
Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan.

Shri Prem Singh,
Constable No. 467,
1st Battalion,
Rajasthan Armed Constabulary,
Rajasthan.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Head Constable Lal Chand of the RAC was in command of a section in the border post of Chamlial on the Indo-Pakistan International border in Jammu and Kashmir. This post is very close to disputed territory over which a serious situation developed resulting in a heavy exchange of fire between the Indian and Pakistani forces on 25th January, 1964. Till then this post was in constant danger and was subjected to unprovoked firing by Pakistani forces. On 3rd February, 1964, the post was subjected to heavy firing by Pakistani forces. Head Constable Lal Chand with courage and resourcefulness withstood the attack and developed his post into a strong position. On the night of the 5/6th March at about 10 hours, the aggressive Pakistani forces opened fire on this post with rifles, LMG, MMG, Grenades and Mortars. The firing continued till late into the night when the Pakistani forces fired tracer bullets and incendiary shells to ignite the *sarkanda* growing round the post. As a result all communication with this post was severed. Taking advantage of the isolated condition of the post, the hostile forces approached close to the post and tried to overrun it. At this juncture, Head Constable Lal Chand along with Constable Prem Singh and 4 other Constables stood fast in the post and constantly engaged the approaching forces with accurate grenade and rifle fire. Head Constable Lal Chand and Constable Prem Singh kept the hostile forces at bay till reinforcements arrived.

During the entire attack Head Constable Lal Chand and Constable Prem Singh displayed conspicuous gallantry, courage, presence of mind and devotion to duty of a high order and saved their post in the face of imminent danger to their own lives.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th March, 1964.

No. 38-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name of the officer and rank

Shri Bhagwat Narain Sharma,
Deputy Superintendent of Police,
Barabanki, Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 8th May, 1963, Shri Bhagwat Narain Sharma, Deputy Superintendent of Police, Barabanki, received reliable information that notorious armed dacoit Mata Prasad was present in village Thakur Purwa. Shri Sharma immediately rushed to the spot with a posse of police. Leaving their vehicles about 3 miles from the village to avoid detection, the police party approached the village on foot. On the way, Shri Sharma also collected some arms licensees and deployed his force in a cordon round the village. At about 5.00 p.m. Shri Sharma, along with some of his men, entered the house in which the dacoit was taking shelter. Sensing the presence of the police, the dacoit took up a position on the roof of the house. Although Shri Sharma had a substantial force at his command, he decided to tackle the dacoit single-handed. Despite the risk, Shri Sharma climbed to the roof alone and challenged the dacoit. The dacoit fired at Shri Sharma and jumped down from the roof in a desperate bid to escape. Shri Sharma without hesitation also jumped down and boldly pursued the dacoit ultimately managing to overpower him without giving him an opportunity to use his gun.

Shri Bhagwat Narain Sharma exhibited exemplary courage, initiative and leadership of a high order in arresting this dangerous armed criminal single handed.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal.

No. 39-Pres./65.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names of the officers and ranks

Shri Bachan Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Jhansi, Uttar Pradesh.

Shri Vijai Singh,
Circle Inspector of Police,
Jhansi, Uttar Pradesh.

Shri Paras Ram Yadav,
Sub-Inspector of Police,
Jhansi, Uttar Pradesh.

Shri Goverdhan Singh,
Head Constable No. 27,
Armed Police, Jhansi,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

The notorious dacoit Daulata Khanger of village Neem Toriva, Jhansi District, and his gang had committed a number of heinous crimes in the border districts of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and created considerable panic in the entire area. With a view to curbing their activities, several police parties were detailed to locate and liquidate this dangerous gang.

On the 31st May 1964, a police party, consisting of Shri Bachan Singh, Deputy Superintendent of Police, Shri Mahendra Pal Dixit, Deputy Superintendent of Police, Circle Inspector Vijai Singh, Sub-Inspector Paras Ram Yadav and Head Constable Goverdhan Singh, arrived at village Piprat and learnt that Daulata and his gang were in a house in this village. As there was no time to secure reinforcements, the police party left their jeep outside the village and, collecting Shri Bhakt Raj, a local gun licensee *en route*, made for the house. Shri Bhakt Raj was posted in a lane to the west of the house to ensure that the dacoits did not make good their escape from that side. Shri Bachan Singh decided to surprise the gang by attacking them at once. Another person Shri Bahore, who was standing outside the house, joined the police party, which then quickly entered a room with two openings facing East. Shri Bachan Singh, concluding that the dacoits must be in one of the two adjacent rooms, stood outside the smaller of the rooms and shouted to Daulata to surrender. This challenge was met with abuse and a counter challenge from the dacoits in the larger room. There were two likely avenues of escape for the dacoits by way of a large inadequately fenced courtyard to the North-East of the house. In order to seal these exists, Inspector Vijai Singh and Sub-Inspector Paras Ram Yadav, at great personal risk, crawled past the door of the room in which the dacoits had positioned themselves. The former was fired at but luckily escaped injury and took up his position, followed quickly by the latter. As soon as they were in position, Shri Bachan Singh shouted a warning to Daulata that unless he surrendered hand grenades would be used. Shri Bahore, however, informed Shri Bachan Singh that some villagers were likely to be with the dacoits. Shri Bachan Singh then ordered the villagers to come out or face the consequences. Shortly after a villager rushed out of the room and was followed by another. Taking advantage of distraction caused to the police by these villagers, Daulata and his associates Umrao and Babu Ahir took up more advantageous positions and fired at the police. A gun duel ensued during the course of which the dacoits rushed out of the house in a desperate bid to break through the police cordon. Babu Ahir fired a shot at Shri Bachan Singh but was himself shot dead by Head Constable Goverdhan Singh and Shri Bachan Singh who fired simultaneously. Umrao, brother of Daulata, shot at Sub-Inspector Paras Ram Yadav and Daulata fired at Inspector Vijai Singh who returned the fire and also shot at Umrao. Daulata was killed by shots fired almost simultaneously by Inspector Vijai Singh, Shri Bachan Singh and Sub-Inspector Paras Ram Yadav. Shri Paras Ram Yadav then shot Umrao dead. A .303 rifle, two S.B.M.L. guns and a large quantity of ammunition were recovered from the dacoits.

In this encounter Shri Bachan Singh, Shri Vijai Singh, Shri Paras Ram Yadav and Shri Goverdhan Singh displayed outstanding courage, initiative and devotion to duty of a high order in complete disregard for their own safety.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and in the cases of Shri Vijai Singh, Shri Paras Ram Yadav and Shri Goverdhan Singh carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st May, 1964.

Y. D. GUNDEVIA, Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 8th June 1965

No. RS.29/1/65-T.—Dr. Nihar Ranjan Ray, an elected Member of the Rajya Sabha representing the State of West Bengal, has resigned his seat in the Rajya Sabha with effect from the 1st June 1965.

B. N. BANERJEE, Secy.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Co-operation)

New Delhi, the 10th June 1965

No. F.13-5/64-CM.—The Government of India in their Notification No. F.13-5/64-CM dated the 6th August, 1964 had set up a Committee to review the present pattern of co-operative marketing of agricultural produce, distribution of production requisites, supply of consumer articles at different levels and other related matters consisting of the following :—

Chairman

Prof. M. L. DANTWALA.

Members

1. Dr. Punjab Rao Deshmukh.
2. Shri Vishwa Nath Puri.
3. Shri P. S. Rajagopal Naidu.
4. Shri G. D. Goswami.
5. Shri R. T. Mirchandani.
6 One representative of the Reserve Bank of India.
7. One representative of the State Bank of India.

Member-Secretary

Shri Veda. P. Sethi.

2. Consequent on the sad demise of Dr. Punjab Rao Deshmukh on 11th April, 1965, the Government of India have decided to appoint Shri B. Mazumdar, Chairman, National Agricultural Cooperative Marketing Federation, Ltd., New Delhi, as a Member of the Committee, *vice* Dr. Punjab Rao Deshmukh, with effect from 27th May, 1965.

3. Shri Veda, P. Sethi, Director (Trade) Ministry of Community Development & Cooperation, who was appointed as Member-Secretary of the Committee, was deputed to the National Cooperative Development Corporation to work as Director (Marketing) from 1-9-1964 and to the National Agricultural Cooperative Marketing Federation, Ltd. as its Secretary from 7-5-1965. The Government of India have decided that Shri Veda. P. Sethi should continue as Member-Secretary of the Committee till the Committee submits its report.

4. In this Ministry's Notification No. F.13-5/64-CM dated 9-2-1965, the term of the Committe was extended upto the 30th April, 1965. As the Committee has not been able to complete its report by this date for various reasons, the Chairman of the Committee requested for further extension of time till the 31st July, 1965.

The Government of India have accordingly decided that the term of the Committee be extended up to the 31st July, 1965 or the date by which the Committee submits its report, whichever is earlier.

S. CHAKRAVARTI, Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 2nd June 1965

No. 12/25/63-E.Pty.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 133-V of the Defence of India Rules, 1962, the Central Government hereby directs that all property in India, belonging to, or held by, or managed, on behalf of Mr. HSIEH CHIH TE, Shoe Shop, Kalimpong which vests in the Custodian of Enemy Property for India by virtue of the Notification of the Government of India, in the late Ministry of Commerce and Industry No. 12/25/63-E.Pty. dated the 17th July 1963, shall cease to vest in the said Custodian and shall revest in the said Mr. HSIEH CHIH TE.

D. N. BANERJEE, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY AND SUPPLY

(Department of Industry)

New Delhi the 1st June 1965

AMENDMENT

Constitution of a Panel of the Structural Fabricating Industry

No. 16(10)/64-EI(M).—In the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering's Resolution of even number dated the 16th April, 1964 the following shall be substituted against item 12 of the heading, "The panel will consist of the following" :—

For the words : "Shri Harbans Singh, Deputy Secretary, Department of Heavy Engineering, New Delhi."

Read the words : "Shri P. R. Nayak, Deputy Secretary, Department of Industry, New Delhi."

I. V. CHUNKATH, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Science)

New Delhi-1, the 29th May 1965

No. F.3(18)/62-SRI.—In continuation of this Ministry Notification No. F.3(18)/62-SRI dated the 1st April, 1965/ Chaitra 11, 1887, it is notified for general information that Dr. B. P. Pal, Director-General, Indian Council of Agricultural Research, Krishi Bhavan, New Delhi-1 and Dr. T. R. Govindachari, Director, CIBA Research Centre, Georegaon, Bombay-62 have been elected with immediate effect as representatives of the Board of Scientific and Industrial Research on the Governing Body of the Council of Scientific and Industrial Research at the Board's last meeting held on the 5th May, 1965 for the period up to 31st March, 1968.

A. K. MUSTAFY, Jt. Secy. (*ex-officio*),
Ministry of Education,
Department of Science.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965